

अभ्यर्थी का शपथ प्रमाणपत्र

संलग्नक 1

1. अभ्यर्थी/छात्र का घोषणा पत्र मैं पुत्र/पुत्री.....
श्री/श्रीमती/सुश्री.....ने
रैगिंग निषेध के विधि/उच्चतम न्यायालय तथा केंद्रीय/राज्य सरकारों के इससे
सम्बन्धित निर्देशों को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है। मैंने
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित
विनियम 2009 की एक प्रतिलिपि प्राप्त कर ली है तथा उसे ध्यान से पढ़ लिया है।
2. मैंने मुख्यरूप से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह
जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की
रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो
प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयतः पूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी की रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग
नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3
विनियम के अंतर्गत आता हो।
4. मैं किसी भी प्रकार की रैगिंग में भाग नहीं लूँगा/लूँगी अथवा किसी भी प्रकार से
रैगिंग का प्रचार नहीं करूँगा/करूँगी
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया
गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके
अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध
दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग
मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त
किया जा सकता है।

हस्ताक्षर.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभिसाक्षी का हस्ताक्षर

शपथ प्रमाणपत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई
तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।
सत्यापित.....स्थान.....दिनमहीना.....वर्ष.....

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया
तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त

संलग्नक -II

माता-पिता/अभिभावक का शपथ प्रमाण-पत्र

1. मैं पिता/माता/अभिभावक; ने रैगिंग निषेध के विधि तथा उच्चतम न्यायालय के निर्देश को केन्द्रीय/राज्य सरकारों के इससे सम्बन्धित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग रोकने से सम्बन्धित विनियम-2009 को ध्यान से पढ़ लिया है तथा पूर्णतया समझ लिया है।
2. मैंने खासतौर से विनियम 3 को पढ़ लिया है समझा लिया है। और मैं यह जानता/जानती हूँ कि रैगिंग के क्या माने हैं।
3. मैंने धारा 7 तथा धारा 9.1 विनियम को समझ लिया है। अगर मैं किसी तरह की रैगिंग के लिए किसी को उकसाता हूँ या किसी तरह की रैगिंग में भाग लेता हूँ तो प्रशासन मेरे खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है।
4. मैं निश्चयपूर्वक यह प्रयत्न करूँगा कि
क) मैं किसी तरह के रैगिंग जो कि धारा 3 विनियम में उल्लेखित है उसमें भाग नहीं लूँगा/लूँगी
ख) मैं किसी भी ऐसी गतिविधियों में लूँगा/लूँगी जो कि रैगिंग के धारा 3 विनियम के अंतर्गत आता हो।
5. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि अगर मैं रैगिंग के मामले में अपराधी पाया गया/पाया गयी तो मुझे विनियम 9.1 के अनुसार दण्ड दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कानूनी प्रावधान के अंतर्गत आपराधिक गतिविधियों में मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
6. मैं यह घोषित करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध देश की किसी भी संस्था द्वारा रैगिंग मामले में प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और ऐसा पाया जाता है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

हस्ताक्षर दिन महीना वर्ष

हस्ताक्षर
नाम, पता, दूरभाष नं.

शपथ प्रमाण-पत्र

मेरे द्वारा सत्यापन के पश्चात् पाया गया कि शपथ पत्र में दी गई जानकारी सही है तथा कोई न कोई तथ्य गलत है। शपथ पत्र में किसी तरह के तथ्य को न ही छिपाया है न ही गलत बयान दिया है।।

सत्यापित.....स्थान..... दिन महीना वर्ष

अभ्यर्थी ने हमारी उपस्थिति में शपथ पत्र में दिए गए तथ्य को पढ़ने के उपरान्त शर्तों को स्वीकार किया तथा हस्ताक्षर किए।

शपथ आयुक्त